[2020] 13 एस. सी. आर. 886

गुजरात मजूर सभा और ए. एन. आर.

वी.

गुजरात राज्य

(2020 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 708)

1 अक्टूबर, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

इंदू मल्होत्रा और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

कारखाना अधिनियम, 1948-एस. एस. 5 , 51 , 54 , 55 और 56 संविधान

भारत का-कला। 352 , 355 और 356-एक राज्य के साथ एक ट्रेड यूनियन

उपस्थिति और संविधान के यू/Art.32 के तहत राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ एक अन्य ने राज्य की दिनांकित अधिसूचनाओं की वैधता को चुनौती दी

17.04.2020 और 20.07.2020-अधिसूचना दिनांकित 17.04.2020

जारी किया गया यू / कारखाना अधिनियम की धारा 5 में सभी पंजीकृत कारखानों को छूट दी गई है

साप्ताहिक घंटों, दैनिक घंटों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से,

वयस्क श्रमिकों के लिए आराम आदि के लिए अंतराल। 51 , 54 , 55 और 56 राज्य सरकार ने 20.07.2020 पर एक और अधिसूचना जारी की

और कारखानों को दी गई छूट को 20.07.2020 से 19.10.2020 तक बढ़ा दिया-राज्य सरकार इस आधार पर कार्रवाई को उचित ठहराती है कि औद्योगिक नियोक्ताओं को कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी में वित्तीय कठोरता का सामना करना पड़ रहा है-यह आगे तर्क दिया गया कि कोविड-19 महामारी एक सार्वजनिक आपातकाल है जैसा कि एस में परिभाषित किया गया है। 5 कारखाना अधिनियम-आयोजितः शक्ति।

यू / कारखाना अधिनियम की धारा 5 का प्रयोग सार्वजनिक आपातकाल में किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण में कहा गया है कि एक सार्वजनिक आपातकाल का गठन करने के लिए, वहाँ

एक गंभीर आपातकाल होना चाहिए-आपातकाल ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जिससे भारत या उसके क्षेत्र के एक हिस्से की सुरक्षा को खतरा हो।

- द.

भारत या क्षेत्र के किसी हिस्से की सुरक्षा के लिए खतरा युद्ध, बाहरी आक्रामकता या आंतरिक अशांति के कारण होना चाहिए -

अभिव्यक्ति 'आंतरिक अशांति' को इसके संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है,

या उससे पहले की अन्य दो अभिव्यक्तियों से अलग तरीके से पढ़ा जाए-वे उस कारण की गंभीरता का संकेत हैं जो भारत या उसके क्षेत्र के एक हिस्से की सुरक्षा के लिए खतरा है। आंतरिक विक्षोभ समान गुरुत्वाकर्षण का होना चाहिए-तत्काल

मामले में, कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक मंदी राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली आंतरिक गड़बड़ी के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करती है-विचाराधीन अधिसूचनाएं कारखाने अधिनियम के जनादेश से महत्वपूर्ण विचलन करती हैं-वे (i) दैनिक वृद्धि करते हैं

काम के घंटों की सीमा 9 घंटे से 12 घंटे तक; (ii) साप्ताहिक काम की सीमा को 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया जाए, जो सप्ताह के 6 दिनों में 12 घंटे के काम के दिनों में बदल जाता है; (iii) काम में समय के प्रसार को नकारता है, जिसमें आराम के घंटे भी शामिल हैं, जो आमतौर पर 10.5 घंटे तय किए जाते हैं; (iv) 5 घंटे के बजाय हर 6 घंटे में आराम का अंतराल सक्षम करें; और (iv) ओवरटाइम मजदूरी के बजाय मजदूरी की सामान्य दर के अनुपात में ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य करें, जैसा कि सामान्य मजदूरी दर के दोगुने की दर से प्रदान किया गया है। एस. 59-अधिसूचनाएँ श्रमिकों को ऐसे समय में कठिन काम करने की शर्तों के अधीन करने को वैध बनाती हैं जब उनकी कमजोर सौदेबाजी की शक्ति महामारी से प्रभावित है-असाधारण कपड़े पहने हुए। शक्तियाँ यू / एस. 5, राज्य श्रमिकों को इस तरह से शोषण करने की अनुमति नहीं दे सकता है जो कारखाने अधिनियम के कठिन रूप से प्राप्त संरक्षणों को भ्रामक बनाता है-इसलिए, दिनांकित 17.04.2020 और 20.07.2020 अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया जाता है और सभी पात्र श्रमिकों के ओवरटाइम वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। 59 कारखाना अधिनियम जो अधिसूचना जारी होने के बाद से काम कर रहे थे।

कारखाना अधिनियम, 1948-योजना और उद्देश्य-पर चर्चा की गई।

श्रम कानून-श्रम कल्याण-'ओवरटाइम' के सामाजिक और आर्थिक मूल्य-पर चर्चा की गई।

श्रम कानून-भारत का संविधान-सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की संविधान दृष्टि-पर चर्चा की गई।

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. कारखाना अधिनियम की धारा 5 के तहत शक्ति का प्रयोग "सार्वजनिक आपातकाल" में किया जा सकता है। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि एक सार्वजनिक आपातकाल का गठन करने के लिए, एक कब्र होनी चाहिए

आपात स्थिति। आपातकाल ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि

भारत या उसके क्षेत्र के एक हिस्से की सुरक्षा के लिए खतरा। भारत या क्षेत्र के किसी हिस्से की सुरक्षा के लिए खतरा युद्ध, बाहरी आक्रामकता या आंतरिक अशांति के कारण होना चाहिए। अभिव्यक्ति 'आंतरिक अशांति' को इसके संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है, या इसे अन्य दो अभिव्यक्तियों से अलग तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है जो इससे पहले थे। वे उस उद्देश्य की गंभीरता का संकेत देते हैं जो भारत या उसके क्षेत्र के एक हिस्से की सुरक्षा के लिए खतरा है। एक आंतरिक विक्षोभ समान गुरुत्वाकर्षण का होना चाहिए।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसके अलावा, यह मूल्यांकन करना आवश्यक है कि क्या आंतरिक स्थिति

अशांति भारत या उसके क्षेत्र के एक हिस्से की सुरक्षा को 'सार्वजनिक आपातकाल' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए खतरा है। किसी एक या अधिक घटक तत्वों के अभाव में, वैधानिक शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तें मौजूद नहीं होंगी। [पैरा 19] [906-सी-ई]

2. भले ही यह न्यायालय प्रत्यर्थी के तर्क को स्वीकार करता है

यह सबसे अधिक है, कि महामारी के परिणामस्वरूप एक आंतरिक

इस न्यायालय ने पाया कि कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक मंदी राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली आंतरिक गड़बड़ी के रूप में योग्य नहीं है। महामारी ने मौजूदा, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे पर भारी बोझ डाला है और आर्थिक गतिविधियों में तेज गिरावट आई है। केंद्र सरकार ने इन प्रावधानों का सहारा लिया है -

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005। हालाँकि, इसने भारत या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की सुरक्षा को इस तरह से प्रभावित नहीं किया है जिससे देश की शांति और अखंडता में खलल पड़े। कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयाँ निश्चित रूप से शासन के लिए अभूतपूर्व चुनौती पेश करती हैं। हालांकि, ऐसी चुनौतियों का समाधान राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के साथ समन्वय में कानून के तहत अपने कामकाज के दायरे में किया जाना है। जब तक कि आर्थिक कठिनाई की सीमा इतनी न हो

इस हद तक कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करता है और भारत या उसके क्षेत्र के एक हिस्से की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, ऐसी आपातकालीन शक्तियों का सहारा नहीं लिया जा सकता है जिनका कानून के तहत संयम से उपयोग किया जाना चाहिए। उनका सहारा तभी लिया जा सकता है जब धारा 5 के तहत वैधानिक शक्ति के वैध प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तें मौजूद हों। वर्तमान मामले में यह अनुपस्थित है। [पैरा 28]

[910 - एफ-एच; 911-ए-बी]

3. कारखाना अधिनियम, जैसा कि वर्तमान में है, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी के लिए अधिनियमित किया गया था। यह सामग्री सुनिश्चित करता है और कारखानों के 'अधिभोगियों' पर जिम्मेदारियों और देनदारियों को निर्धारित करके श्रमिकों का शारीरिक कल्याण। श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं के बीच भौतिक सौदेबाजी की शक्ति में असमानता की विधायी मान्यता के रूप में, इस अधिनियम का उद्देश्य कठोर और दमनकारी कार्य स्थितियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करना है। यह अधिनियम मुख्य रूप से 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। इसे उद्देश्यपूर्ण और व्यापक रूप से उन श्रमिकों पर लागू किया गया है, जो सख्ती से गुजरात मज़दूर सभा और ए. एन. आर. के दायरे में नहीं आते हैं।

परिभाषा, और फिर भी प्रतिष्ठानों के भीतर समान भूमिकाएँ शामिल हैं। इन अनुमेय व्याख्याओं के साथ संरेखित किया गया है

विधायिका का इरादा जो श्रम के शोषण को रोकने में महत्वपूर्ण है। [पैरा 30] [912-डी-एफ]

4. विशेष रूप से इसके अलावा विचाराधीन अधिसूचनाएँ

सभी कारखानों को धारा 51,54,55 और 56 की प्रयोज्यता से छूट देना, प्रभावी रूप से कारखाना अधिनियम की धारा 59 को ओवरराइड करता है। उपरोक्त प्रावधान अध्याय VI का एक हिस्सा हैं जो 'वयस्कों के कार्य घंटों' को निर्धारित करता है। व्यापक रूप से श्रमिक उत्पादकता और उचित पारिश्रमिक से संबंधित यह अध्याय निर्धारित करता है

काम के घंटे, आराम के अनिवार्य दिन, बीच में अंतराल

5. अधिसूचनाएँ कारखाने अधिनियम के अधिदेश से महत्वपूर्ण विचलन करती हैं। वे (i) काम के घंटों की दैनिक सीमा को 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर देते हैं; (ii) साप्ताहिक काम की सीमा को 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर देते हैं, जिसका अर्थ है 12 घंटे। घंटे का काम-सप्ताह के 6 दिनों के दिन; (iii) आराम के घंटों सहित काम पर समय के विस्तार को नकारें, जो आमतौर पर 10.5 घंटे तय किए जाते हैं; (iv) 5 घंटे के विपरीत हर 6 घंटे में आराम का अंतराल सक्षम करें; और (iv) धारा 59 के तहत प्रदान की गई मजदूरी की सामान्य दर से दोगुनी दर पर ओवरटाइम मजदूरी के बजाय मजदूरी की सामान्य दर के अनुपात में ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य करें। [पैरा 33] [914-बी-डी]

6. विवादित अधिसूचनाएँ राज्य के सभी कारखानों की अतिरिक्त लागत को कम करने के अलावा, उनके निर्मित उत्पादों की प्रकृति की परवाह किए बिना, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती हैं। अगर जीवन रक्षक दवाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों या सैनिटाइज़र जैसे चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन करने वाले कारखानों को धारा 65 (2) के माध्यम से छूट दी जाएगी, तो यह महामारी के दौरान उचित संभावना के दायरे में होगा, और श्रमिकों को उनके मूल्यवान श्रम की आपूर्ति के लिए उचित रूप से मुआवजा दिया जाएगा।

तत्काल आवश्यकता का समय। हालांकि, एक ब्लैंकेट अधिसूचना सभी कारखानों को छूट, चाहे वे विनिर्मित हों [2020] 13 एस. सी. आर.

उत्पाद, श्रमिकों को अधिक समय देने से इनकार करते हुए, समाज के पहले से ही जीर्ण-शीर्ण वर्ग को दासता की जंजीरों में धकेलने के लिए महामारी का लाभ उठाने के इरादे का संकेत है। [पैरा 36] [915-ए-सी]

7. कारखाना अधिनियम में परिभाषित 'श्रमिक' अभिव्यक्ति, अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित व्यक्तियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है।

अनुबंध श्रम के रूप में और प्रतिष्ठान में विनिर्माण प्रक्रिया में योगदान करते हैं। भारत में कोविड-19 महामारी एक विशाल प्रवासी श्रमिक संकट के साथ आई थी, जहां कई श्रमिकों (नियोजित या कारखानों के साथ अनुबंधित श्रमिकों सहित) को उत्पादन में रुकावट के कारण अपने काम के शहरों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे उनकी आय का अल्प स्रोत कट गया। विचाराधीन अधिसूचनाएँ श्रमिकों को ऐसे समय में कठिन काम करने की स्थितियों के अधीन करने को वैध बनाती हैं जब उनकी कमजोर सौदेबाजी की शक्ति महामारी से प्रभावित है। कपड़े पहने हुए।

धारा 5 के तहत असाधारण शक्तियां, राज्य श्रमिकों को इस तरह से शोषण करने की अनुमति नहीं दे सकता है जो कारखाने अधिनियम, 1948 की कड़ी मेहनत से प्राप्त सुरक्षा को भ्रामक और भ्रामक बनाता है।

सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का कागजों में संवैधानिक वादा-बाघ। यह विडंबना है कि यह परिणाम ऐसे समय में आना चाहिए जब राज्य को उनका कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए। [पैरा 43] [921-बी-सी; 922-ए-बी]

जिससे भारत की सुरक्षा खतरे में है। किसी भी स्थिति में, कारखानों के किसी भी कारखाने/वर्ग को इससे छूट नहीं दी जा सकती थी। कारखाना अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन, जब तक कि एक 'आंतरिक गड़बड़ी' एक गंभीर आपातकाल का कारण नहीं बनती है जो कारखाने के लिए खतरा पैदा करती है।

राज्य की सुरक्षा, ताकि कारखाने अधिनियम की धारा 5 के अर्थ के भीतर एक 'सार्वजनिक आपातकाल' का गठन किया जा सके। [पैरा 45] [924-सी-ई] ए. आर. ए. टी. मेजर सभा और ए. एन. आर.

वी. गुजरात का राज्य

के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) 10 एससीसी 1: [2017] 10 एससीआर 569; एस आर बोम्मई बनाम। भारत संघ [1994] 2 एस. सी. आर. 644; रोमेश थापर बनाम। मद्रास राज्य [1950] 1 एस. सी. आर. 594; भीकुसा यामासा क्षत्रिय (पी) लिमिटेड v. भारत संघ ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1591: [1964] एस. सी. आर. 860 का अनुसरण किया गया।

अतिरिक्त-न्यायिक निष्पादन पीड़ित परिवार संघ बनाम।

भारत संघ (2016) 14 एससीसी 578: [2016] 4 एससीआर 909; राम मनोहर लोहिया बनाम। बिहार राज्य ए. आई. आर. 1966 एससी

740 : [1966] एससीआर 709; एस. एम. दत्ता बनाम। गुजरात राज्य (2001) 7 एससीसी 659: [2001] 2 पूरक। एस. सी. आर. 140; वाई. ए. ममार्दे बनाम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (1972) 2 एस. सी. सी. 108 के तहत प्राधिकरणः [1973] 1 एस. सी. आर. 161-पर निर्भर।

अनुराधा भसीन बनाम। भारत संघ (2020) 3 एस. सी. सी. 637; फाइजर प्राइवेट लिमिटेड, बॉम्बे बनाम। कामगार ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1103 [1963] सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 627; नेशनल थर्मल पावर को-ऑपरेशन v. करी पोथुराजू (2003) 7 एस. सी. सी. 384 [2003] 2 सप्लीमेंट। एस. सी. आर. 426; बारात फ्रिट्ज वर्नर लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य, (2001) 4 एससीसी 498: [2001] 1 एस. सी. आर. 835; मद्रास राज्य बनाम। वी जी रो एयर 1952 एससी 196: [1952] एस. सी. आर. 597 संदर्भित है।

आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आईएलआर (1988) 1 पी एंड एच 73; हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड v. श्रम न्यायालय (1994) 1 एल. एल. एन. 256-निर्दिष्ट।

केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग

(जनवरी 1988); डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, संविधान सभा बहस, खंड 7 19 नवंबर, 1948 को संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 10 एससीआर 569

पीछा किया।

पैरा 9

[1994] 2 एससीआर 644

पीछा किया।

पैरा 14

[2016] 4 एससीआर 909

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

(2020) 3 एस. सी. सी. 637

संदर्भित किया गया है

पीछा किया।

पै

रा 20

[1966] एससीआर 709

उस पर भरोसा करें

पै

रा 21

[1963] पूरक। एससीआर 627

पै

रा 26

संदर्भित किया गया है

[2001] 2 पूरक। एससीआर 140

उस पर भरोसा करें

पै

रा 29

[1964] एससीआर 860

पीछा किया।

पै

रा 37

[1973] 1 एससीआर 161

उस पर भरोसा करें

पै

रा 39

[2003] 2 पूरक। एससीआर 426

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

[2001] 1 एससीआर 835

संदर्भित किया गया है

पै

रा 43

[1952] एससीआर 597

पै

रा 44

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

708 2020 का

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

तुषार मेहता, एस. जी., संजय सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री अपर्णा भट,

सुश्री करिश्मा मारिया, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

सूचकांक

ए.

अधिसूचनाएँ

चुनौती के आधार

बी.

कारखाना अधिनियम, 1962 की धारा 5 के तहत शक्ति

सी.

'सार्वजनिक आपातकाल' और 'राज्य की सुरक्षा' पर पूर्ववर्ती

डी.

धारा 5 में 'सार्वजनिक आपातकाल' की व्याख्या करना

ई.

एफ.

कारखाना अधिनियम, 1962 की योजना और उद्देश्य 'ओवरटाइम' का सामाजिक और आर्थिक मूल्य

जी.

सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की संवैधानिक दृष्टि

एच.

आई.

सारांश गुजरात मस्तूर सभा और ए. एन. आर. वी. गुजरात राज्य

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

1.कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए

गुजरात राज्य ने कारखानों को कुछ दायित्वों का पालन करने से छूट दी है जिन्हें नियोक्ताओं को उनके द्वारा नियोजित श्रमिकों के प्रति पूरा करना होता है। सरकार इस कार्रवाई को इस आधार पर उचित ठहराती है कि औद्योगिक नियोक्ताओं को कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी में वित्तीय कठोरता का सामना करना पड़ रहा है। 17 अप्रैल 2020 और 20 जुलाई 2020 की राज्य की अधिसूचनाओं की वैधता को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका में राज्यव्यापी उपस्थिति और राष्ट्रीय उपस्थिति के साथ एक अन्य ट्रेड यूनियन इस अदालत के समक्ष है।

ए अधिसूचनाएँ

2. कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च 2020 से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। आर्थिक गतिविधियाँ रुक गईं। लॉकडाउन को कई मौकों पर बढ़ाया गया था, जिनमें से दूसरी बार 14 अप्रैल 2020 को। 17 अप्रैल 2020 को, गुजरात राज्य के श्रम और रोजगार विभाग ने कारखाने अधिनियम की धारा 5 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी कारखानों को वयस्कों के लिए साप्ताहिक घंटे, दैनिक घंटे, आराम के लिए अंतराल आदि से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से छूट दी गई है। धारा 51,54,55 और 56 के तहत श्रमिक। अधिसूचना का घोषित उद्देश्य 20 अप्रैल 2020 से 19 जुलाई 2020 तक "औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए कुछ छूट" प्रदान करना था। संबंधित भाग में अधिसूचना नीचे दी गई है:

" ... अब, इसलिए, कारखाने अधिनियम, 1948 (1948 का LXIII) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि सभी कारखाने

कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत वयस्क श्रमिकों को 20 अप्रैल से 20 अप्रैल तक निम्नलिखित शर्तों के साथ धारा 51, धारा 54, धारा 55 और धारा 56 के तहत साप्ताहिक घंटे, दैनिक घंटे, आराम के लिए अंतराल आदि से संबंधित विभिन्न प्रावधानों से छूट दी जाएगी।

19 जुलाई 2020,

(1) किसी भी वयस्क श्रमिक को किसी भी दिन में बारह घंटे और किसी भी सप्ताह में बयालीस घंटे से अधिक समय तक कारखाने में काम करने की अनुमति या आवश्यकता नहीं होगी।

प्रत्येक दिन एक कारखाने में वयस्क श्रमिकों के काम की अवधि

(2)

इस तरह से तय किया जाएगा कि कोई भी अवधि छह घंटे से अधिक नहीं होगी और

1 " कारखाना अधिनियम "[2020] 13 एस. सी. आर.

कि कोई भी कर्मचारी कम से कम आधे घंटे के आराम के अंतराल से पहले छह घंटे से अधिक समय तक काम नहीं करेगा।

(3) किसी भी महिला कर्मचारी को काम करने की अनुमति या आवश्यकता नहीं होगी।

7 के बीच कारखानाः 00 पीएम से 6: 00 एएम।

(4) मजदूरी मौजूदा मजदूरी के अनुपात में होगी (उदाहरण के लिए यदि आठ घंटे की मजदूरी 80 रुपये है, तो आनुपातिक।

बारह घंटे के लिए मजदूरी 120 रुपये होगी)।

समय बीतने के बाद, राज्य सरकार ने 20 जुलाई 2020 को एक और अधिसूचना जारी की। सामग्री में समान, नया

अधिसूचना ने कारखानों को दी गई छूट को 20 जुलाई 2020 से 19 अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया।

बी चुनौती के आधार

3. पहला याचिकाकर्ता ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत पंजीकृत एक ट्रेड यूनियन है और लगभग दस हजार श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है।

गुजरात राज्य में कारखानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में। दूसरा याचिकाकर्ता पंजीकृत ट्रेड यूनियनों का एक संघ है और पूरे भारत में कारखानों और प्रतिष्ठानों में एक लाख श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है।

4. याचिकाकर्ताओं की दलीलों का नेतृत्व करते हुए श्री संजय सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ वकील, सुश्री अपर्णा भट, विद्वान वकील के साथ

प्रस्तुत करता है किः

कारखाना अधिनियम की धारा 5 सरकार को छूट देने में सक्षम बनाती है

((i)

किसी भी कारखाने, या कारखानों के एक वर्ग, केवल इसके प्रावधानों से

जब एक 'सार्वजनिक आपातकाल' मौजूद हो;

(ii) धारा 5 का स्पष्टीकरण 'सार्वजनिक आपातकाल' अभिव्यक्ति को एक 'गंभीर आपातकाल' के रूप में परिभाषित करता है जो युद्ध, बाहरी आक्रामकता या आंतरिक अशांति से भारत या क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा के लिए खतरा है। एक समाज के व्याख्यात्मक सिद्धांत को लागू करना, अभिव्यक्ति 'आंतरिक'

'अशांति' का एक अर्थ होगा जो 'युद्ध' और 'बाहरी आक्रामकता' से उत्पन्न होता है जो भारत की सुरक्षा को खतरे में डालता है और इसमें महामारी या लॉकडाउन शामिल नहीं होगा;

(iii) यद्यपि संविधान की धारा 5 और अनुच्छेद 352 के प्रावधान (1978 में इसके संशोधन से पहले) दोनों में शामिल हैं -

2 17 अप्रैल 2020 और 20 जुलाई 2020 की दोनों अधिसूचनाएं गुजरात राज्य के श्रम और रोजगार विभाग टी मेजर सभा और ए. एन. आर. द्वारा जारी की गई थीं।

वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

'आंतरिक अशांति' अभिव्यक्ति के संदर्भ में, एक महत्वपूर्ण अंतर है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति की संतुष्टि पर आधारित था जबकि धारा 5 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल शर्तों के वस्तुनिष्ठ अस्तित्व पर किया जा सकता है। निर्धारित;

भले ही भारत की सुरक्षा के लिए कोई खतरा एक वस्तुनिष्ठ तथ्य के रूप में मौजूद हो, अधिसूचनाओं को वैध होने के लिए, खतरे को कम करना चाहिए;

21 अप्रैल 2020 से कारखाने खुले थे, जो पहली अधिसूचना लागू होने के अगले ही दिन था। आर्थिक अराजकता का कथित औचित्य श्रमिकों को कठिन कामकाजी परिस्थितियों में उनके ओवरटाइम वेतन का भुगतान किए बिना उनसे अधिक काम निकालने के लिए एक धुआंधार पर्दा है। धारा 5 केवल एक व्यक्तिगत कारखाने या कारखानों के एक वर्ग के लिए छूट पर विचार करती है, न कि एक व्यापक छूट जो सभी कारखानों तक फैली हुई है।

कारखाना अधिनियम की धारा 5 नहीं, बल्कि धारा 65 (2) 'काम के असाधारण दबाव' के कारण कारखानों के एक वर्ग के लिए धारा 51,52,54 और 56 के निलंबन को सक्षम बनाती है।

भले ही धारा 65 (2) को काम के असाधारण दबाव के लिए लागू किया जाना था, इसके तहत कई शर्तें थीं:

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की भावना और अनुच्छेद 23,21 और 14 के तहत श्रमिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले जबरन श्रम के बराबर है; और 7 मई 2020 को विशाखापत्तनम, छत्तीसगढ़ और नेवेली में खतरनाक उद्योगों में तीन औद्योगिक दुर्घटनाओं की सूचना है जो लॉकडाउन के बाद एक कंकाल कार्यबल के साथ फिर से खुल गए। विचाराधीन अधिसूचनाएँ इसी तरह की आपदाओं का कारण बनेंगी।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. इन दलीलों का विरोध करते हुए, गुजरात राज्य की ओर से उपस्थित सुश्री दीपानविता प्रियंका ने गंभीरता से कहा है कि

इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने के लिए राजी करने के लिए कि अधिसूचनाएँ अनुचित नहीं हैं

कारखाना अधिनियम या असंवैधानिक। सुश्री की प्रस्तुतियाँ।

अंका का समर्थन सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने किया है।

. प्रस्तुतियों का सारांश नीचे दिया गया है:

राज्य ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना जारी की है

((i)

कारखाना अधिनियम की धारा 5 के तहत, जिसके तहत यह किसी भी कारखाने या कारखाने के वर्ग को सभी या किसी भी प्रकार से छूट दे सकता है।

सार्वजनिक आपातकाल में अधिनियम के प्रावधान;

(ii) कोविड-19 महामारी एक 'सार्वजनिक आपातकाल' है जैसा कि कारखाना अधिनियम की धारा 5 में परिभाषित किया गया है। इसने "देश की सामाजिक व्यवस्था" को बिगाड़ दिया है और गुजरात राज्य में भी जीवन की गति को खतरे में डाल दिया है। प्रकोप के परिणामस्वरूप, सुरक्षा के लिए आपातकालीन उपायों को अपनाने की आवश्यकता थी

गुजरात राज्य का अस्तित्व और अखंडता;

(iii) कोविड-19 महामारी ने "अत्यधिक वित्तीय" स्थिति पैदा कर दी है।

राज्य में आवश्यकताएँ। लॉकडाउन की वजह से मंदी आई आर्थिक गतिविधियों में, जिससे 'आंतरिक अशांति' होती है

धारा 5 के अर्थ के भीतर राज्य। राज्य कारखानों और प्रतिष्ठानों को अस्थायी रूप से छूट दी गई

कारखाना अधिनियम जैसे श्रम कानूनों का संचालन वित्तीय संकट को दूर करना और कारखानों की रक्षा करना और

प्रतिष्ठानों;

(iv) अधिसूचनाएँ कारखानों की धारा 59 का उल्लंघन नहीं करती हैं।

मजदूरी के भुगतान की शर्त के रूप में कार्य करें

मौजूदा मजदूरी के अनुपात में ओवरटाइम काम;

(v) कारखाना अधिनियम की धारा 5 छूट की शक्ति प्रदान करती है।

राज्य सरकार को किसी भी कारखाने या कारखानों के वर्ग को इसके प्रावधानों से छूट देने के लिए। राज्य सरकार के पास यह निर्धारित करने का विशेषाधिकार है कि कारखानों के सभी या केवल एक वर्ग या विवरण को छूट दी जानी चाहिए या नहीं। सभी की सूची कारखानों के वर्ग अनावश्यक होते

व्यायाम;

(vi) कारखाने अधिनियम की धारा 65 (2) के तहत अधिसूचनाएं जारी नहीं की गई हैं, जिन्हें केवल इससे निपटने के लिए लागू किया जा सकता है।

काम का एक असाधारण दबाव; जरात मस्तूर सभा और ए. एन. आर।

वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(vii) कारखानों में न्यूनतम उत्पादन स्तरों का रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए कारखाने अधिनियम की धारा 5 के तहत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए, धारा 65 (2) के अर्थ के भीतर काम का कोई असाधारण दबाव नहीं है। इसका उद्देश्य

अधिसूचना कोविड-19 महामारी से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य कार्य जारी रहें।

संचालन;

(viii) अधिसूचनाओं के तहत, श्रमिकों को सामान्य कार्य दिवस की तुलना में केवल तीन अतिरिक्त घंटों के लिए काम करने की अनुमति है। कारखानों को श्रमिकों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है।

आनुपातिक रूप से अतिरिक्त कार्य घंटों के लिए। श्रम का कोई दोहन नहीं है और कारखाने भी बनाए रखने में सक्षम हैं। स्वयं; और

(ix) अधिसूचनाएं अनुच्छेद 14,21 और 23 का उल्लंघन नहीं करती हैं।

संविधान से।

ग कारखाना अधिनियम, 1962 की धारा 5 के तहत शक्ति

6. विश्लेषण के लिए मुद्दा यह है कि क्या अधिसूचनाएँ कारखाना अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत आती हैं। द.

अधिसूचनाओं की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि क्या कोविड-19 महामारी और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 'सार्वजनिक आपातकाल' के रूप में परिभाषित किया गया है।

धारा 5. कानून भाषा और शब्दकोश दोनों प्रदान करता है

इसे रीट करें।

7. कारखाना अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि सार्वजनिक रूप से

धारा 67 को छोड़कर अधिनियम। धारा 5 का सार नीचे दिया गया हैः " 5. सार्वजनिक आपातकाल के दौरान छूट देने की शक्ति। सार्वजनिक आपातकाल के किसी भी मामले में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा

सरकारी राजपत्र, धारा 67 को छोड़कर किसी भी कारखाने या वर्ग या कारखानों के विवरण को इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान से ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन छूट देता है जो वह सोचे।

बशर्ते कि ऐसी कोई अधिसूचना एक अवधि के लिए नहीं की जाएगी एक बार में तीन महीने से अधिक।

0] 13 एस सी आर।

स्पष्टीकरण। — इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सार्वजनिक

आपातकाल "का अर्थ है एक गंभीर आपातकाल जिसके तहत सुरक्षा

भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से को खतरा है,

चाहे युद्ध से हो या बाहरी आक्रमण से या आंतरिक आक्रमण से।

अशांति "।

(जोर दिया गया)

8. धारा 5 निर्दिष्ट करती है (i) कब छूट दी जा सकती है; (ii)

जो छूट देने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है; (iii) किसे छूट दी जा सकती है; (iv) वे शर्तें जिनके अधीन छूट दी जा सकती है; (iv) वे प्रावधान जिनसे छूट की अनुमति दी जा सकती है; (v) वह अवधि जिस पर छूट लागू हो सकती है; और (vi) वह तरीका जिसमें छूट को अधिसूचित किया जाना है। "सार्वजनिक आपातकाल के किसी भी मामले में" छूट दी जा सकती है। एक सार्वजनिक का अस्तित्व

शक्ति के प्रयोग के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। क्या वहाँ

आपातकाल सार्वजनिक आपातकाल को राज्य सरकार की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर नहीं छोड़ा जाता है। धारा 5 में "व्यक्तिपरक संतुष्टि" अभिव्यक्ति का अभाव महत्वपूर्ण है। इसलिए सार्वजनिक आपातकाल का अस्तित्व होना चाहिए।

एक "गंभीर आपातकाल" मौजूद है; (ii) भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को ऐसे आपातकाल से "खतरा" होना चाहिए; और (iii) खतरे का कारण युद्ध, बाहरी आक्रामकता या आंतरिक अशांति होनी चाहिए। स्थिति के अस्तित्व को एक उद्देश्य के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए तथ्य। कारण और प्रभाव के बीच सह-संबंध होना चाहिए। इसलिए स्पष्ट रूप से, वैधानिक प्रावधान आनुपातिकता के सिद्धांत को शामिल करता है।

गुजरात मजूर सभा और ए. एन. आर. वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

9. आनुपातिकता के सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में मान्यता दी गई है, विशेष रूप से के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में। 3 आनुपातिकता का सिद्धांत निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों के विश्लेषण की परिकल्पना की गई है

राज्य की कार्रवाई की वैधता जो मौलिक अधिकारों को बाधित कर सकती है:

((i)

मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने वाला कानून होना चाहिए

एक वैध राज्य उद्देश्य का पालन;

((ii) अधिकारों के लिए औचित्य-मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रयोग में हस्तक्षेप करने या उन्हें सीमित करने वाले उल्लंघनकारी उपाय उन उपायों, वास्तव में स्थिति और उद्देश्य के बीच एक तर्कसंगत संबंध के अस्तित्व पर आधारित होने चाहिए।

हासिल करने की कोशिश की;

(iii) उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपाय आवश्यक होने चाहिए और आवश्यक से अधिक हद तक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

उद्देश्य को पूरा करने के लिए;

((iv) प्रतिबंधों से केवल वैध उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होनी चाहिए;

उनकी रक्षा के लिए भी आवश्यक होना चाहिए; और

(v) राज्य को इसके खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करने चाहिए

इस तरह के हस्तक्षेप का दुरुपयोग।

हालाँकि अधिसूचनाएँ जारी करने में प्रत्यर्थी की कार्रवाई की आनुपातिकता पर विश्लेषण करने से पहले, यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कारखाने अधिनियम की धारा 5 के तहत परिकल्पित शक्ति के दायरे के अनुरूप अधिसूचनाएँ वैध रूप से जारी की गई हैं।

डी 'सार्वजनिक आपातकाल' और 'सुरक्षा पर वरीयता

राज्य '

10. कारखाना अधिनियम की धारा 5 में 'सार्वजनिक आपातकाल' के मूल कारण संविधान के अनुच्छेद 352 के समान हैं। संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा इसके संशोधन से पहले। संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन प्रावधान हैं। संविधान का अनुच्छेद 352, इससे पहले

संशोधन, निम्नानुसार पढ़िए:

" 352. आपातकाल की घोषणाः (1) यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं

कि एक गंभीर आपातकाल मौजूद है जिससे भारत की सुरक्षा

3 (2017) 10 एस. सी. सी. 1, पैरा 325 [2020] 13 एस. सी. आर.

या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से को खतरा है, चाहे युद्ध या बाहरी आक्रामकता या आंतरिक अशांति से, वह घोषणा द्वारा उस आशय की घोषणा कर सकता है।

(जोर दिया गया)

11. राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषित करने के लिए अनुच्छेद 352 के तहत शक्तियों का तीन बार उपयोग किया गया है। आपातकाल घोषित किया गया था पहली बार 1962 में भारतीय क्षेत्र पर चीनी आक्रामकता के कारण। 1968 में आपातकाल को समाप्त कर दिया गया था। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ शत्रुता हुई तो राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी।

कि भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रामकता से खतरा था। जब यह घोषणा लागू थी, राष्ट्रपति द्वारा 25 जून 1975 को एक और घोषणा जारी की गई थी जिसमें घोषणा की गई थी कि "गंभीर आपातकाल मौजूद है।"

जिससे भारत की सुरक्षा को 'आंतरिक अशांति' से खतरा है। मार्च 1977 में इन दोनों घोषणाओं को रद्द कर दिया गया था। संविधान के 44 वें संशोधन में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उन्हें सीमित करने का प्रयास किया गया। इस संशोधन के अनुसार, "आंतरिक अशांति" अभिव्यक्ति को "सशस्त्र विद्रोह" से बदल दिया गया था। इस प्रकार, आपातकाल की घोषणा अब नहीं की जा सकती है केवल आंतरिक अशांति पर जारी किया गया और भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सशस्त्र विद्रोह की दहलीज तक पहुंचना चाहिए। संसद

अनुच्छेद 352 में संशोधन अनुभव के परिणाम हैंः अनुभवों से।

आपातकाल की ज्यादतियों से प्राप्त, मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में अनुभव और सबसे बढ़कर, अनुभवात्मक शिक्षा कि अनियंत्रित शक्ति और बेलगाम विवेक का मिश्रण स्वतंत्रता के विनाश के लिए उपजाऊ परिस्थितियाँ प्रदान करता है। हमारे बहुत दूर के इतिहास से सीखे गए गंभीर सबक हमें ऐसी सामग्री की समान शर्तों के साथ एक क़ानून को समाप्त करने के खिलाफ चेतावनी देना चाहिए जो गंभीर दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील है।

12. 'आंतरिक अशांति' शब्द को संविधान के अनुच्छेद 355 में भी जगह मिली है। संविधान का अनुच्छेद 355 प्रदान करता हैः

" 355. बाहरी आक्रामकता और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्यः प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य होगा। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक राज्य की सरकार का संचालन किया जाए

इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार।

अनुच्छेद 355 की घोषणा पर विचार नहीं करता है

निर्वाचित राज्य सरकारों के कामकाज में आपातकाल या हस्तक्षेप। गुजरात मजूर सभा और ए. एन. आर. की सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है।

वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बाहरी आक्रामकता और आंतरिक अशांति के खिलाफ और संविधान के अनुसार उनके कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए।

13. संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में ऐसी स्थिति में संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रावधान करता है जहां राज्य सरकार का कार्य निम्नलिखित के अनुसार नहीं किया जा सकता है -

संविधान। अनुच्छेद 356 इस प्रकार हैः

" 356. राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में प्रावधानः (1) यदि राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा, संतुष्ट हो जाता है कि राज्य में कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिसे राज्य सरकार चला नहीं सकती है।

इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रपति

घोषणा द्वारा (क) राज्य सरकार के सभी या किसी भी कार्य और राज्यपाल या राज्य में किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण द्वारा निहित या प्रयोग करने योग्य सभी या किसी भी शक्ति को अपने लिए ग्रहण करता है।

राज्य का विधानमंडल;

(ख) घोषणा करें कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां -

संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग करने योग्य;

(ग) ऐसे आनुषंगिक और परिणामी प्रावधान करें जो दिखाई देते हैं। घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रपति के लिए आवश्यक या वांछनीय होना, जिसमें राज्य में किसी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित इस संविधान के किसी भी प्रावधान के संचालन को पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित करने के प्रावधान शामिल हैंः ....."

14. अनुच्छेद 352,355 और 356 की व्याख्या पर इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने एस. आर. बोम्मई बनाम संघ के मामले में चर्चा की थी। भारत 1. न्यायमूर्ति सावंत ने अपने और न्यायमूर्ति कुलदिप सिंह के लिए लिखते हुए कहा किः

" ..... अनुच्छेद 355. शक्ति का एक स्वतंत्र स्रोत नहीं है।

राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप लेकिन इसके तहत अपनाए जाने वाले उपायों के लिए औचित्य की प्रकृति में है

अनुच्छेद 356 और 357। लेकिन क्या आवश्यक है

इस संबंध में याद रखें कि जबकि अनुच्छेद 355

तीन स्थितियों को संदर्भित करता है, अर्थात्। , ((i) बाहरी आक्रामकता,

((ii) आंतरिक अशांति, और (iii) इसे जारी न रखना।

4 [1994] 2 एस. सी. आर. 644 [2020] 13 एस.

आपातकाल की घोषणा केवल एक स्थिति की बात करती है, अर्थात्। , जहाँ भारत या क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा

युद्ध या बाहरी आक्रामकता से खतरा है

या सशस्त्र विद्रोह। अभिव्यक्ति "आंतरिक गड़बड़ी"

निश्चित रूप से "सशस्त्र विद्रोह" से बड़ा अर्थ है

और "सशस्त्र विद्रोह" से उत्पन्न होने वाली स्थितियों को शामिल करता है

ठीक है। दूसरे शब्दों में, जबकि आपातकाल की घोषणा

आंतरिक गड़बड़ी के लिए केवल तभी बनाया जा सकता है जब इसे बनाया गया हो सशस्त्र विद्रोह, न तो ऐसी घोषणा की जा सकती है

किसी अन्य स्थिति के कारण होने वाली आंतरिक अशांति के लिए और न ही

अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा जारी की जा सकती है जब तक कि आंतरिक अशांति एक ऐसी स्थिति को जन्म देती है जिसमें

सशस्त्र विद्रोह से कम अशांति को उचित नहीं ठहराया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा और न ही ऐसा

अशांति के तहत घोषणा जारी करने को उचित ठहराया जा सकता है

अनुच्छेद 356 (1), जब तक कि यह अक्षम या जारी रखने से रोकता है

राज्य सरकार के अनुसार

आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित यह है कि उक्त प्रावधान कर सकते हैं केवल तभी बुलाया जाए जब कोई आपात स्थिति हो और

आपातकाल उसमें वर्णित प्रकृति का है न कि किसी का। अन्य प्रकार। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा,

प्रासंगिक शर्तों के अस्तित्व के संबंध में पूर्ववर्ती। अनुच्छेद 355 के तहत संघ पर डाला गया कर्तव्य भी इसमें उत्पन्न होता है

उसमें बताई गई दोहरी शर्तें।

(जोर दिया गया)

15. अतिरिक्त-न्यायिक निष्पादन पीड़ित परिवार संघ

भारत का राज्य 3, इस न्यायालय ने विचार किया कि क्या मणिपुर की स्थिति

सार्वजनिक व्यवस्था, आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह। विश्लेषण करें।

5) 14 एस. सी. सी. 578 2 गुजरात मस्तूर सभा और ए. एन. आर. वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

चालीसवें संशोधन के प्रभाव, जिसने "आंतरिक अशांति" के लिए "सशस्त्र विद्रोह" अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया, न्यायालय ने कहा किः

" 66. उपरोक्त शब्दों के प्रतिस्थापन का प्रभाव विषय था

इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा विचार का विषय

नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम। भारत संघ।

इसमें यह माना गया था कि हालांकि एक आंतरिक गड़बड़ी एक है

चिंता का कारण, यह सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है

सशस्त्र विद्रोह के विपरीत देश या उसका एक हिस्सा जो

बाहरी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह, लेकिन एक आंतरिक अशांति। [.....]

170. इसलिए निष्कर्ष यह है कि युद्ध की स्थिति में, बाहरी

आक्रामकता या एक सशस्त्र विद्रोह जो सुरक्षा के लिए खतरा है देश या उसका कोई हिस्सा, यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि

राज्यों की रक्षा करना और स्थिति की गंभीरता के आधार पर,

राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा भी जारी कर सकते हैं। कि

इसके अलावा, राज्यों की रक्षा करना भी केंद्र सरकार का कर्तव्य है

एक आंतरिक गड़बड़ी से। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते हैं।

बाद की स्थिति की स्थिति में, आपातकाल की घोषणा जारी करें

अनुच्छेद 356 के तहत कठोर शक्ति का उपयोग करने के अलावा संविधान जिसने नियंत्रण और संतुलन का निर्माण किया है।

(जोर दिया गया)

16. अभिव्यक्ति 'आंतरिक अशांति' की व्याख्या की जानी चाहिए

जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत, आंतरिक अशांति आपातकाल की घोषणा करने के लिए भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले सशस्त्र विद्रोह के क्रम की होनी चाहिए। इसी तरह, एक वैध बनाए रखने के लिए

आंतरिक आधार पर अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग

विक्षोभ, यह ऐसी प्रकृति का होना चाहिए जो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के कामकाज को बाधित करे; दूसरे शब्दों में, यह ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि किसी राज्य की सरकार को उसके अनुसार नहीं चलाया जा सके। संविधान के साथ।

17. के संदर्भ में 'आंतरिक अशांति' की परिभाषा पर

संविधान के अनुच्छेद 355, केंद्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट (जनवरी 1988) में उल्लेख किया गया है किः

" 6.3.04 'आंतरिक अशांति' की अवधारणा को सटीक रूप से परिभाषित करना मुश्किल है। हालाँकि, इसी तरह के प्रावधान अन्य देशों के संविधानों में भी पाए जाते हैं। संघीय संविधान का अनुच्छेद 16

स्विट्जरलैंड "आंतरिक विकार" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। द.

संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान 'घरेलू हिंसा' अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस शब्द के स्थान पर 'आंतरिक अशांति' अभिव्यक्ति का उपयोग किया है। जाहिर है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका इरादा न केवल घरेलू हिंसा, बल्कि कुछ और भी शामिल करना था। 'आंतरिक अशांति' शब्द का दायरा 'घरेलू हिंसा' से अधिक व्यापक है। यह 'घरेलू अराजकता' की भावना को व्यक्त करता है, जो लेता है

चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि राज्य सरकार को पंगु बना सकते हैं और उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। [.....]

6.3.13 'आंतरिक अशांति' को कानून और व्यवस्था से संबंधित सामान्य समस्याओं से अलग करना महत्वपूर्ण है। जहां संघ के सशस्त्र बलों के उपयोग की आवश्यकता होती है, उसे छोड़कर सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव राज्यों की जिम्मेदारी है (प्रविष्टि 1, सूची II)। इस मामले में, अनुच्छेद 355 के विचार के भीतर 'आंतरिक अशांति' को केवल सार्वजनिक शांति के उल्लंघन के साथ नहीं माना जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण और परिमाण के संदर्भ में, इसका उद्देश्य कहीं अधिक गंभीर स्थिति को इंगित करना है। सार्वजनिक अव्यवस्था और 'आंतरिक अशांति' की स्थिति के बीच का अंतर न केवल एक स्तर का है, बल्कि एक प्रकार का भी है। जबकि उत्तरार्द्ध सार्वजनिक अव्यवस्था का एक उग्र रूप है जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालता है, पूर्व में विशुद्ध रूप से स्थानीय महत्व की शांति के अपेक्षाकृत मामूली उल्लंघन शामिल हैं। सार्वजनिक अव्यवस्था की स्थिति कब संघ के हस्तक्षेप को उचित ठहराते हुए "आंतरिक अशांति" में बदल जाती है, यह एक ऐसा मामला है जिसे छोड़ दिया गया है।

संविधान द्वारा केंद्र सरकार के निर्णय और अच्छी समझ के लिए।

[...] गुजरात मजूर सभा और ए. एन. आर. वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

6.4.11 शारीरिक टूट-फूट के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

[.....]

((ii) जहाँ भूकंप, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदा आती है,

अभूतपूर्व परिमाण की महामारी, बाढ़ आदि और गंभीरता, प्रशासन को पूरी तरह से पंगु बना देती है और

राज्य और राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालता है

सरकार इसका प्रयोग करने के लिए अनिच्छुक या असमर्थ है।

इसे दूर करने की सरकारी शक्ति। [.....]

अनुच्छेद के प्रावधानों को लागू करना अनुचित हो सकता है, यदि अवैध नहीं है 356 :

[.....]

(ix) इस शक्ति का वैध रूप से एकमात्र व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

राज्य की सख्त वित्तीय आवश्यकताओं का आधार "।

(जोर दिया गया)

सरकारिया आयोग ने माना कि कई स्थितियों

आंतरिक गड़बड़ी हो सकती है। आंतरिक मामले सरकारिया आयोग द्वारा दी गई गड़बड़ी अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के संदर्भ में थी, जहां राज्य की संवैधानिक मशीनरी के टूटने का सवाल है। किसी भी स्थिति में, सरकारिया आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी राज्य की केवल वित्तीय आवश्यकताएँ आंतरिक अशांति के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करती हैं।

18. अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ में, ("अनुराधा")

भासिन) इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5 (2) में 'सार्वजनिक आपातकाल' की परिभाषा पर विचार किया, एक पाठ्य तुलना से पता चलता है कि 'सार्वजनिक' की परिभाषा 6 (2020) 3 एससीसी 637 7 " 5. सरकार को लाइसेंस प्राप्त तारों को अपने कब्जे में लेने और संदेशों को रोकने का आदेश देने की शक्ति। — (1) ***

(2) किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर, या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या इसमें विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी

केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या [2020] 13 एस. सी. आर. में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है।

टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) में 'आपातकाल' कारखाना अधिनियम की तुलना में व्यापक है। टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) में "भारत की संप्रभुता और अखंडता", "विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध", "सार्वजनिक व्यवस्था" और "किसी अपराध के लिए उकसावे को रोकने" से संबंधित स्थितियों को शामिल किया गया है, जो कारखाने अधिनियम की धारा 5 में 'सार्वजनिक आपातकाल' के वैधानिक रूप से परिभाषित दायरे में जगह नहीं पाते हैं। जो भी हो, अनुराधा भसीन में निर्णय के पैरा 101 में एक अवलोकन है कि-"सार्वजनिक आपातकाल" गंभीर प्रकृति का होना आवश्यक है, और इसे मामले-दर-मामले के आधार पर निर्धारित करने की आवश्यकता है।

998

19. कारखाना अधिनियम की धारा 5 के तहत शक्ति हो सकती है

या उसके क्षेत्र का एक हिस्सा। भारत या क्षेत्र के किसी हिस्से की सुरक्षा के लिए खतरा युद्ध, बाहरी आक्रामकता या आंतरिक हमले के कारण होना चाहिए। अशांति। अभिव्यक्ति 'आंतरिक अशांति' को इसके संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है, या इसे अन्य दो अभिव्यक्तियों से अलग तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है जो इससे पहले थे। वे उस उद्देश्य की गंभीरता का संकेत देते हैं जो भारत या उसके क्षेत्र के एक हिस्से की सुरक्षा के लिए खतरा है। एक आंतरिक विक्षोभ समान गुरुत्वाकर्षण का होना चाहिए। इसके अलावा, यह आवश्यक है

यह मूल्यांकन करने के लिए कि क्या आंतरिक अशांति की स्थिति भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, या उसके क्षेत्र के एक हिस्से को 'सार्वजनिक आपातकाल' के रूप में अर्हता प्राप्त है। किसी एक या अधिक घटक तत्वों की अनुपस्थिति में,

वैधानिक शक्ति के प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तें मौजूद नहीं होंगी।

20. "भारत की सुरक्षा" वाक्यांश का क्या अर्थ है? रोमेश में

थापर बनाम मदरसो राज्य, इस न्यायालय के छह न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि 'राज्य की सुरक्षा' की अवधारणा उससे कहीं अधिक संकीर्ण है। लिखित आदेश द्वारा निर्देश दिया जाता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या उनसे, या किसी विशेष विषय से संबंधित, किसी तार द्वारा संचारण के लिए लाया गया या प्रेषित किया गया या प्राप्त किया गया कोई भी संदेश या संदेश का वर्ग, प्रेषित नहीं किया जाएगा, या रोका जाएगा या हिरासत में लिया जाएगा, या आदेश देने वाली सरकार या आदेश में उल्लिखित एक अधिकारी को प्रकट किया जाएगाः

बशर्ते कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के भारत में प्रकाशित होने वाले प्रेस संदेशों को तब तक रोका या हिरासत में नहीं लिया जाएगा, जब तक कि उनके प्रसारण को इस उप-धारा के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया है। 8 अनुराधा भसीन बनाम का कोई अन्य पहलू नहीं। भारत संघ, (2020) 3 एस. सी. सी. 637 वर्तमान मामले में बहस का विषय रहा है।

9 (1950) 1 एस. सी. आर. 594 [1951 में संविधान में पहले संशोधन ने अनुच्छेद 19 (2) ए में संशोधन करके अनुच्छेद 19 (1) ए के तहत मौलिक अधिकार के अनुमेय विनियमन के क्षेत्र का विस्तार किया।

वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]'सार्वजनिक व्यवस्था'। न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री, अदालत की ओर से बोलते हुए:

" 7. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने कहीं भी "राज्य की सुरक्षा" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया, हालांकि इसके तहत प्रावधान किया गया था।

हिंसा के अपराधों से निपटने के लिए धारा 57

सरकार को उखाड़ फेंको। जबकि सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव सहित कानून और व्यवस्था के प्रशासन को लोगों द्वारा चुने गए मंत्री के प्रभारी के रूप में रखा गया था, राज्यपाल को उन व्यक्तियों के संचालन का मुकाबला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो "सरकार को उखाड़ फेंकने के इरादे से हिंसा के अपराध" करके या करने का प्रयास करके "प्रांत की शांति या शांति को खतरे में डालते हैं"। इसी प्रकार, अनुच्छेद 352

संविधान राष्ट्रपति को एक बनाने का अधिकार देता है

आपातकाल की घोषणा जब वह संतुष्ट हो कि

" भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा

युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक आक्रमण से खतरा

अशांति "। ये प्रावधान इस गड़बड़ी को स्वीकार करते हैं

सार्वजनिक शांति या शांति की ऐसी कब्र हो सकती है

राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा के रूप में अनुपात। 8. जैसा कि स्टीफन ने अपने इंग्लैंड के आपराधिक कानून में कहा है: " गैरकानूनी सभाएं, दंगे, विद्रोह, विद्रोह, युद्ध का आरोप, ऐसे अपराध हैं जो एक-दूसरे के खिलाफ होते हैं और एक-दूसरे के खिलाफ होने में सक्षम नहीं होते हैं।

पूरी तरह से परिभाषित सीमाओं द्वारा चिह्नित। इन सभी में एक समान विशेषता है, अर्थात्, एक सभ्य समाज की सामान्य शांति, उल्लिखित मामलों में से प्रत्येक में परेशान होती है। वास्तविक बल द्वारा या कम से कम इसके प्रदर्शन और धमकी द्वारा "। हालाँकि इन सभी अपराधों में सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी शामिल है और

सिद्धांत रूप में सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ अपराध हैं, उनके बीच का अंतर केवल डिग्री का अंतर है, फिर भी उनके संबंध में दी जाने वाली सजा को वर्गीकृत करने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न छोटी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि किया गया है

भारतीय दंड संहिता। इसी तरह, संविधान में,

अनुमेय विधान के लिए अलग-अलग मानदंड तैयार करना।

अनुच्छेद 19 (1) में, उन्हें एक अलग श्रेणी में रखा गया है - सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध जिनका उद्देश्य अवमूल्यन करना है

राज्य की सुरक्षा या इसे उखाड़ फेंकना, और उनके

विधायी संक्षिप्तता के लिए एकमात्र औचित्य की रोकथाम

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात, कुछ भी नहीं [2020] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राज्य की नींव को खतरे में डालने से कम या

इसके उखाड़ फेंकने की धमकी कटौती को उचित ठहरा सकती है

"उपखंड (ख)" और शांतिपूर्ण सभा का अधिकार संघ "उपखंड (ग)" खंडों के तहत प्रतिबंधित हो सकता है।

(3) और

(4) "सार्वजनिक व्यवस्था" के हित में अनुच्छेद 19, जिसमें

इन खंडों में राज्य की सुरक्षा शामिल है। द.

सूची III (समवर्ती) की प्रविष्टि 3 में भी अंतर ध्यान देने योग्य है।

सातवीं अनुसूची की सूची), जो "एक की सुरक्षा" को संदर्भित करती है विशिष्ट विषयों के रूप में राज्य "और" सार्वजनिक व्यवस्था का रखरखाव "

कानून। इस प्रकार संविधान में एक रेखा खींचने की आवश्यकता है

सार्वजनिक व्यवस्था या शांति चिह्न के क्षेत्र में, हो सकता है

मोटे तौर पर, उन गंभीर और के बीच की सीमा हो

सार्वजनिक अव्यवस्था के बढ़े हुए रूप जिनकी गणना की जाती है

राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालना और अपेक्षाकृत मामूली

विशुद्ध रूप से स्थानीय महत्व की शांति का उल्लंघन, उपचार

इस उद्देश्य के लिए डिग्री में अंतर जैसे कि वे थे

प्रकार में अंतर "।

(जोर दिया गया)

21. कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के बीच का अंतर इस न्यायालय द्वारा राम मनोहर लोहिया बनाम राम मनोहर लोहिया मामले में राज्य का सीमांकन किया गया था।

बिहार का 1 ओ। एक प्रसिद्ध अंश में, न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला

वेदः

" 55. [...] इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि निर्णयों में "सार्वजनिक व्यवस्था" के रूप में

इस न्यायालय के (पहले उद्धृत) विकारों को समझने के लिए कहा गया था

"राज्य की सुरक्षा", "कानून और व्यवस्था" को प्रभावित करने वालों की तुलना में कम गंभीरता प्रभावित करने वालों की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण के विकारों को भी समझता है

" सार्वजनिक आदेश "। तीन संकेंद्रित वृत्तों की कल्पना करनी होगी।

कानून और व्यवस्था सबसे बड़े दायरे का प्रतिनिधित्व करता है जिसके भीतर है

सार्वजनिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला अगला वृत्त और सबसे छोटा वृत्त राज्य की सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह देखना आसान है

कि एक अधिनियम कानून और व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था को नहीं

एक अधिनियम के रूप में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है लेकिन राज्य की सुरक्षा को नहीं।

(जोर दिया गया)

[.....] ”

1966 एससी 740 गुजरात मजूर सभा और ए. एन. आर. वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

ई की धारा 5 में 'सार्वजनिक आपातकाल' की व्याख्या

कारखाना अधिनियम, 1962

उद्देश्य। 23. इस याचिका में अदालत के समक्ष सवाल यह है कि क्या कोविड-19 महामारी और महामारी के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन ने एक सार्वजनिक आपातकाल पैदा कर दिया है, जैसा कि कारखानों की धारा 5 के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है।

एक्ट करें।

24. कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी एक अभूतपूर्व स्थिति है जिससे दुनिया भर के देश जूझ रहे हैं। भारत में,

केंद्र सरकार ने आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के रखरखाव सहित कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए 24 मार्च 2020 को 21 दिनों की प्रारंभिक अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन को बाद में 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया था। लॉकडाउन के दौरान देश में आर्थिक गतिविधि ठप हो गई थी। शहरों से श्रमिकों का व्यापक पलायन हुआ, जहां काम के सभी रास्ते बंद हो गए थे। जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक आवश्यकताओं की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल चलने वाले अनगिनत हाशिए पर पड़े लोगों का एक अभूतपूर्व प्रवास हुआ। आय और आजीविका का नुकसान हुआ है। महामारी और लॉकडाउन का खामियाजा मजदूर वर्ग और श्रमिकों को भुगतना पड़ा है

गरीब से गरीब। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में उनके पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं है। प्रत्यर्थी ने कारखाने अधिनियम की धारा 5 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित रूप से औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विवादित अधिसूचनाएं जारी की हैं।

25. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वर्तमान स्थिति से भारत या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

उनके अनुसार प्रतिवादी इस तरह के खतरे के अस्तित्व को प्रदर्शित करने में विफल रहा है। कारखाना अधिनियम की धारा 5 के तहत शक्तियों के प्रयोग को चुनौती दी गई है क्योंकि यह कारखाना अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. जवाब में, प्रत्यर्थी, एक अवसर पर अपने लिखित में

प्रस्तुतियों में तर्क दिया गया है कि कोविड-19 महामारी वित्तीय अराजकता का कारण बन रही थी और स्थिति "आंतरिक अशांति के कगार" पर थी। अन्य स्थानों पर, प्रतिवादी ने आग्रह किया है कि महामारी के कारण आर्थिक मंदी एक सार्वजनिक आपातकाल का गठन करती है, जो कारखाने अधिनियम के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता को कम करने वाली विवादित अधिसूचनाओं को जारी करने की आवश्यकता को सुनिश्चित करती है। अपनी प्रस्तुतियों में, प्रत्यर्थी ने सरकारिया आयोग (जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है) द्वारा उद्धृत आंतरिक अशांति के उदाहरणों पर भरोसा किया है, जिसमें एक महामारी जैसी प्राकृतिक आपदा शामिल है, जो प्रशासन को पंगु बना देती है और

राज्य की सुरक्षा। कारखाना अधिनियम के संदर्भ में, प्रतिवादी ने फाइजर प्राइवेट में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है लिमिटेड, बॉम्बे बनाम कर्मचारी 1 1 ("फाइजर") यह आग्रह करने के लिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, इसे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए

राष्ट्र का औद्योगिक उत्पादन।

27. हम उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। फाइजर में, संबंधित नियोक्ता और श्रमिकों के बीच विवाद

कारखाने के मालिक द्वारा कठिन काम करने की शर्तों को लागू करना। यह मामला एक निजी विवाद था और कारखाना अधिनियम के तहत राज्य द्वारा आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग से संबंधित नहीं था। न्यायालय ने केवल नोट किया यह विवाद 1962 में राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के समय उत्पन्न हुआ था और राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए औद्योगिक उत्पादन को तैयार करने की आवश्यकता थी। वर्तमान स्थिति में, प्रत्यर्थी ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों में स्वीकार किया है कि अधिसूचनाओं का उद्देश्य काम के भारी दबाव का सामना करना नहीं है।

लेकिन केवल न्यूनतम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए।

28. भले ही हम प्रत्यर्थी के तर्क को स्वीकार कर लें

सबसे अधिक, महामारी के परिणामस्वरूप आंतरिक अशांति हुई है, हम पाते हैं कि कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक मंदी राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली आंतरिक अशांति के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करती है। महामारी ने मौजूदा, विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे पर भारी बोझ डाला है और आर्थिक गतिविधियों में तेज गिरावट आई है। केंद्र सरकार ने प्रावधानों का सहारा लिया है आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005। 1 2 तथापि, इसने भारत या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की सुरक्षा को इस तरह से प्रभावित नहीं किया है जिससे देश की शांति और अखंडता बाधित हो। आर्थिक कठिनाइयों के कारण

11 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1103 12 गृह मंत्रालय, आदेश सं. 40-3/2020-डी. एम.-I (ए) दिनांक 24 मार्च 2020 गुजरात मजूर सभा और ए. एन. आर.

वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कोविड-19 निश्चित रूप से शासन के लिए अभूतपूर्व चुनौती पेश करता है। हालांकि, ऐसी चुनौतियों का समाधान राज्य सरकारों द्वारा केंद्र सरकार के साथ समन्वय में कानून के तहत अपने कामकाज के दायरे में किया जाना है। जब तक किसी आर्थिक कठिनाई की सीमा इतनी चरम नहीं होती है कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करती है और भारत या उसके क्षेत्र के किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरे में डालती है, तब तक ऐसी आपातकालीन शक्तियों का सहारा नहीं लिया जा सकता है जिनका कानून के तहत संयम से उपयोग किया जाना चाहिए।

उनका सहारा तभी लिया जा सकता है जब धारा 5 के तहत वैधानिक शक्ति के वैध प्रयोग के लिए आवश्यक शर्तें मौजूद हों। वर्तमान मामले में यह अनुपस्थित है।

एफ योजना और कारखाने अधिनियम, 1962 के उद्देश्य

29. आपातकालीन शक्तियों को लागू करने में प्रत्यर्थी का उद्देश्य

कारखाना अधिनियम के तहत लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी के प्रभावों का मुकाबला करना है। कारखाना अधिनियम की धारा 5 के दायरे और इरादे और विवादित अधिसूचनाओं द्वारा परिकल्पित धारा 51,54,55 और 56 की विशिष्ट छूटों का विश्लेषण करने के लिए, यह आवश्यक है कि -

भारतीय कल्याणकारी राज्य की संवैधानिक योजना की पृष्ठभूमि में कारखाना अधिनियम के उद्देश्य की जांच करें। कारखाना अधिनियम को संविधान के निर्माण के लगभग समकालीन रूप में अधिनियमित किया गया था। कारखाना अधिनियम कार्यस्थलों पर मानव गरिमा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए श्रमिक संघों के लंबे संघर्ष के इतिहास का एक उत्पाद है जो उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता है। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पेश किया गया था और 1891,1911,1934 और 1941 में इसमें संशोधन किया गया था। न्यायमूर्ति उमेश सी. बनर्जी ने एस. एम. दत्ता बनाम गुजरात राज्य मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के एक हिस्से के रूप में भारत में औद्योगिक क्रांति और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के संदर्भ में इन संशोधनों का संक्षिप्त रूप से पता लगाया। न्यायालय ने कहाः

" 14. ..... 1851 में बॉम्बे में कपास मिलों की स्थापना और बंगाल के रिशरा में जूट मिल ने भारत में कारखाने प्रणाली की शुरुआत की और इसके बाद ही बॉम्बे और बंगाल दोनों में कारखानों का लगातार विकास हुआ, लेकिन इन कारखानों में काम के घंटों, कल्याणकारी उपायों और मजदूरी दोनों के संबंध में मौजूदा स्थितियां अमानवीय थीं। श्रम की उपलब्धता बहुत थी और इस तरह यह काफी सस्ती हो गई और इसे खत्म करने के लिए 1875 में श्रम की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया।

कारखानों में श्रम की स्थितियाँ और इसके आधार पर सिफारिशों के अनुसार पहला कारखाना विधेयक, 1880 में पेश किया गया था।

हालाँकि, बाद में विधायिका ने इस विधेयक को एक अधिनियम के रूप में अपनाया। हालाँकि, जैसे ही यह अधिनियम पारित किया गया, बॉम्बे और अन्य स्थानों पर नए सिरे से आंदोलन शुरू हो गया और एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर, 1891 का भारतीय कारखाना (संशोधन) अधिनियम पारित किया गया। संशोधित अधिनियम के प्रावधान भी थे

अपर्याप्त और कुछ हद तक संशोधित विधेयक को बाद में 1909 में पेश किया गया और इसे 1911 में एक क़ानून के रूप में पारित किया गया।

हालांकि कारखाना अधिनियम, 1911 में समय-समय पर संशोधन किया गया था, लेकिन यह देश में आवश्यक बढ़ती गतिविधियों को पूरा नहीं कर सका। विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसके कारण कारखाना अधिनियम, 1948 को क़ानून-पुस्तिका में अंकित किया गया था, जिसमें श्रमिकों के कल्याण पर जोर दिया गया था। कारखाना निरीक्षकों को उन पर बहुत भारी जिम्मेदारी के साथ रखा गया है और कानून में प्रावधान किए गए हैं जो राज्य सरकारों को इन उद्देश्यों के लिए नियम बनाने और तैयार करने का अधिकार देते हैं

स्थिति की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

30. कारखाना अधिनियम, जैसा कि वर्तमान में है, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की गारंटी के लिए अधिनियमित किया गया था। यह सामग्री सुनिश्चित करता है और

कारखानों के 'अधिभोगियों' पर जिम्मेदारियों और देनदारियों को निर्धारित करके श्रमिकों का शारीरिक कल्याण। श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं के बीच भौतिक सौदेबाजी की शक्ति में असमानता की विधायी मान्यता के रूप में, इस अधिनियम का उद्देश्य कठोर और दमनकारी कार्य स्थितियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करना है। यह अधिनियम मुख्य रूप से 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। यह उद्देश्यपूर्ण और व्यापक रूप से श्रमिकों पर लागू किया गया है, जो सख्ती से परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं, और फिर भी प्रतिष्ठानों के भीतर समान भूमिकाओं को मूर्त रूप देते हैं। इन अनुमेय व्याख्याओं को विधायिका के इरादे के साथ जोड़ा गया है जो श्रम के शोषण को रोकने में एक महत्वपूर्ण चिंता है। 31. विचाराधीन अधिसूचनाएँ, विशेष रूप से सभी कारखानों को धारा 51,54,55 और 56 की प्रयोज्यता से छूट देने के अलावा, प्रभावी रूप से कारखाना अधिनियम की धारा 59 को ओवरराइड करती हैं। उपरोक्त प्रावधान अध्याय VI का एक हिस्सा हैं जो 'वयस्कों के कार्य घंटों' को निर्धारित करता है। अध्याय, व्यापक रूप से श्रमिक उत्पादकता और निष्पक्षता से संबंधित है

पारिश्रमिक, काम के घंटे, आराम के अनिवार्य दिन, काम के हिस्सों के बीच अंतराल और ओवरटाइम के लिए पर्याप्त मुआवजा निर्धारित करता है।

यह अधिसूचनाएं, अनुमानित रूप से, कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया हैं और सभी कारखानों को धारा 51,54,55 और 56 के प्रावधानों से छूट दी गई है जो नीचे दिए गए हैं:

जरात मजूदर सभा और ए. एन. आर. वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 51. साप्ताहिक घंटे-किसी भी वयस्क कर्मचारी को किसी भी कारखाने में चालीस-आठ घंटे से अधिक समय तक काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी।

सप्ताह। 54. दैनिक घंटे-धारा 51 के प्रावधानों के अधीन, किसी भी वयस्क श्रमिक को किसी भी दिन में नौ घंटे से अधिक समय तक कारखाने में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगीः

बशर्ते कि, मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन के अधीन, इस धारा में निर्दिष्ट दैनिक अधिकतम घंटे

शिफ्ट के परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे पार किया जाना चाहिए।

55. आराम के लिए अंतराल-(1) एक कारखाने में प्रत्येक दिन वयस्क श्रमिकों के काम की अवधि इस तरह से तय की जाएगी कि कोई भी अवधि पांच घंटे से अधिक नहीं होगी और कोई भी कर्मचारी कम से कम आधे घंटे के आराम के लिए अंतराल होने से पहले पांच घंटे से अधिक काम नहीं करेगा।

(2) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और उसमें निर्दिष्ट कारणों से, किसी भी कारखाने को छूट दे सकता है।

उप-धारा (1) के प्रावधान ताकि कुल संख्या

बिना किसी अंतराल के एक कर्मचारी द्वारा काम किए गए घंटे से अधिक नहीं होते हैं।

56. फैलाव-एक कारखाने में एक वयस्क श्रमिक के काम की अवधि इस तरह से व्यवस्थित की जाएगी कि उसके आराम के अंतराल को शामिल किया जाए। धारा 55 के तहत, वे दस से अधिक में नहीं फैले होंगे और

किसी भी दिन में आधे घंटेः

बशर्ते कि मुख्य निरीक्षक, निर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से

लिखित रूप में, स्प्रेडओवर को बारह घंटे तक बढ़ा दें।

32. दोनों अधिसूचनाएँ, पाव प्रावधानों से छूट प्रदान करते हुए, काम की निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित करती हैंः

किसी भी सप्ताह में घंटे। (2) एक कारखाने में प्रत्येक दिन वयस्क श्रमिकों के काम की अवधि इस तरह से तय की जाएगी कि कोई भी अवधि छह घंटे से अधिक नहीं होगी और कोई भी कर्मचारी छह घंटे से अधिक समय तक काम नहीं करेगा।

कम से कम आधे घंटे के आराम के लिए अंतराल।

0] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(3) किसी भी महिला कर्मचारी को काम करने की अनुमति या आवश्यकता नहीं होगी।

7 के बीच कारखानाः 00 पीएम से 6: 00 एएम।

(4) मजदूरी मौजूदा मजदूरी के अनुपात में होगी (उदाहरण के लिए यदि

आठ घंटे के लिए मजदूरी 80 रुपये है, जिसके लिए आनुपातिक मजदूरी

बारह घंटे 120 रुपये होंगे) "।

33. अधिसूचनाएँ कारखाने अधिनियम के अधिदेश से महत्वपूर्ण विचलन करती हैं। वे (i) काम के घंटों की दैनिक सीमा बढ़ाते हैं।

9 घंटे से 12 घंटे तक; (ii) साप्ताहिक कार्य सीमा को 48 घंटे से बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया जाए, जो सप्ताह के 6 दिनों में 12 घंटे के कार्य दिवस में परिवर्तित हो जाता है; (iii) काम में समय के विस्तार को नकारता है, जिसमें आराम के घंटे भी शामिल हैं, जो आमतौर पर 10.5 घंटे निर्धारित किए जाते हैं; (iv) 5 घंटे के बजाय हर 6 घंटे में आराम का अंतराल सक्षम करें; और (iv) धारा 59 के तहत प्रदान की गई मजदूरी की सामान्य दर से दोगुनी दर से ओवरटाइम मजदूरी के बजाय, मजदूरी की सामान्य दर के अनुपात में ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान अनिवार्य करें।

34. कारखाना अधिनियम को लागू करते समय, संसद मांग या आवश्यकता की कभी-कभार वृद्धि से अवगत थी

कुछ वस्तुओं का निर्माण जो त्वरित उत्पादन की मांग करते हैं। कानून निर्माता द्वितीय विश्व युद्ध में औपनिवेशिक शासन के युद्ध प्रयासों की आवश्यकताओं के बारे में जानते थे, जिसमें सहायक की कमी, अड़चनें और भारत में अकाल भी शामिल थे। कारखाना अधिनियम की धारा 64 (2) में तत्काल मरम्मत, प्रमुख आवश्यकता की वस्तुओं की आपूर्ति या तकनीकी कार्य जैसे उदाहरणों के लिए अध्याय VI में काम के घंटों से संबंधित कुछ प्रावधानों से छूट की परिकल्पना की गई है, जिन्हें अनिवार्य रूप से लगातार किया जाना चाहिए। धारा 65 (2) कारखानों के वर्गों को समान प्रावधानों से छूट देने में सक्षम बनाती है ताकि वे काम के असाधारण दबाव का सामना कर सकें। हालाँकि, इन छूटों को सीमित किया गया है

धारा 64 (4) और 65 (3) क्रमशः उन सीमाओं पर जो विचाराधीन अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित सीमाओं की तुलना में काफी कम कठिन हैं। इसके बावजूद

ये रियायतें, ये प्रावधान धारा 59 की छूट को सक्षम नहीं करते हैं जो ओवरटाइम मजदूरी के अनिवार्य भुगतान को निर्धारित करता है

35. सुनवाई के दौरान, प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया है कि विवादित अधिसूचनाओं के तहत छूट को समझा जाना चाहिए "कोविड-19 महामारी के प्रसार के कारण उत्पन्न होने वाली अत्यधिक वित्तीय आवश्यकताओं" के संदर्भ में और "उत्पादन को बनाए रखने, श्रमिकों को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति करने और

उक्त कारखानों और गुजरात मझदूर सभा और एएनआर की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण" के रूप में तैनात किया गया है।

वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

36. हम प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील की दलीलों में बल खोजने में असमर्थ हैं। आक्षेपित अधिसूचनाएँ काम नहीं करती हैं सभी कारखानों की अतिरिक्त लागत को कम करने के अलावा कोई भी उद्देश्य

राज्य, उनके विनिर्मित उत्पादों की प्रकृति की परवाह किए बिना। यह समझ से परे होगा और महामारी के दौरान उचित संभावना के दायरे में, यदि जीवन रक्षक दवाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों या सैनिटाइज़र जैसे चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन करने वाले कारखानों को धारा 65 (2) के माध्यम से छूट दी जाएगी, जबकि श्रमिकों को तत्काल आवश्यकता के समय अपने मूल्यवान श्रम की आपूर्ति के लिए उचित रूप से मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, सभी कारखानों को छूट की एक व्यापक अधिसूचना, चाहे कोई भी निर्मित उत्पाद हो, श्रमिकों को अधिक समय देने से इनकार करते हुए, समाज के पहले से ही थके हुए वर्ग को गुलामी की जंजीरों में धकेलने के लिए महामारी का लाभ उठाने के इरादे का संकेत है।

जी 'ओवरटाइम' का सामाजिक और आर्थिक मूल्य

37. भारतीय संविधान एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण से पैदा हुआ है जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को प्राप्त करना है। श्रम कल्याण उस दृष्टि का एक अभिन्न अंग है। वास्तव में यही वह दर्शन है जो निर्देशक सिद्धांतों को रेखांकित करता है। संविधान पीठ के लिए बोलना

इस न्यायालय का, भिकुसा यामासा क्षत्रिय (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ 14 1 4, न्यायमूर्ति जे. सी. शाह ने कहाः

“ 9. [...] एक समय में विनिर्माण प्रक्रिया में रोजगार को नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अनुबंध का विषय माना जाता था और राज्य नियोक्ता पर कोई शुल्क लगाने से संबंधित नहीं था। हालाँकि अब यह माना जाता है कि श्रम के शोषण को रोकने और श्रमिकों के लिए उचित सुरक्षा उपायों पर जोर देने में राज्य की महत्वपूर्ण चिंता है।

कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा। कारखाना अधिनियम निस्संदेह श्रमिकों को उनके स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं पर कई प्रतिबंध लगाता है। लेकिन औद्योगिक संबंधों पर आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में इस तरह के प्रतिबंधों को लागू करना अनुचित नहीं है और न ही माना जा सकता है। कारखाना अधिनियम के लाभों का विस्तार परिसरों और श्रमिकों तक करना जो अधिनियम के दायरे में सख्ती से नहीं आते हैं, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। श्रमिकों के लाभ के लिए प्रतिबंध लगाने को अधिकृत करके जो

14 ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1591 [2020] 13 एस.

राज्य का दृष्टिकोण कुछ या सभी सुरक्षा की आवश्यकता है

कारखाना अधिनियम द्वारा प्रदत्त, लेकिन जो अधिनियम द्वारा शासित नहीं हैं, विधायिका केवल अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है, अर्थात यह अधिनियम के लाभ के विस्तार को अधिकृत करती है

जिन व्यक्तियों के लिए अधिनियम, उद्देश्य को पूरी तरह से प्रभावी करने के लिए, होना चाहिए था, लेकिन प्रशासनिक या अन्य कठिनाइयों के कारण विस्तारित नहीं किया गया है। इसलिए "मानित श्रमिकों" के लाभ के लिए किए गए प्रावधानों को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अर्थ के भीतर अनुचित नहीं माना जा सकता है। (जोर दिया गया)

कानून का शासन। एक सांविधिक प्रावधान जो निर्धारित शर्तों पर छूट देने की शर्त रखता है, उसका ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। राज्य प्रशासन के लिए नई चुनौतियों का सामना करते हुए कार्यस्थल में गरिमा और समानता को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को समाप्त करने के लिए राज्य को एक स्वतंत्र शासन प्रदान करने के लिए इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, जब तक कि वे गंभीर खतरों के खिलाफ राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल संबंध नहीं रखते हैं। 39. कारखाना अधिनियम के अध्याय VI में निहित प्रावधान काम सुनिश्चित करने के लिए श्रमिकों की भारी जीत को दर्शाते हैं

ऐसी स्थितियाँ जो उनकी गरिमा को बनाए रखती हैं। वाई. ए. ममार्दे बनाम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1.5 ("ममार्दे") के तहत प्राधिकरण इस अदालत ने एक समकालीन कानून, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के संदर्भ में, सामान्य मजदूरी की दोगुनी दर पर ओवरटाइम वेतन की अवधारणा की व्याख्या की, जो दिन के सामान्य पाठ्यक्रम में परिश्रम करने के बाद एक कर्मचारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण अतिरिक्त श्रम के लिए न्यायसंगत मुआवजे के न्यूनतम प्रयास के रूप में है। न्यायालय ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से निर्णय दिया:

" 13. आइये पहले इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अधिनियम [न्यूनतम मजदूरी] अधिनियम] जिसे 1948 में अधिनियमित किया गया था, की जड़ें

1928 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाई गई सिफारिश। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया है, अधिनियम का उद्देश्य कुछ रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दरें तय करना है और हमें लगता है कि यह स्पष्ट रूप से पूंजीवादी वर्ग द्वारा समाज के अज्ञानी, कम संगठित और कम विशेषाधिकार प्राप्त सदस्यों के शोषण के खिलाफ निर्देशित है। समाज की ओर से यह चिंता अपने कुछ छोटे लोगों की सामान्य आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए है।

15 (1972) 2 एस. सी. सी. 108 जरात मजूर सभा और ए. एन. आर. वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

जनता और इसलिए, समग्र रूप से राष्ट्र की स्वस्थ प्रगति के लिए, केवल उचित सामाजिक विकास की नींव रखता है। संरचना जिसमें श्रम को राष्ट्रीय विकास में अपने योगदान के बदले में वैध रूप से अपनी गरिमा का स्थान मिलेगा।

आर्थिक समृद्धि। [.....] . इसलिए, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि नियम 25 में ओवरटाइम काम करने की दर को दोगुना करने पर विचार किया गया है।

मजदूरी जो श्रमिक वास्तव में प्राप्त करता है, जिसमें शामिल हैं स्पष्टीकरण में उल्लिखित आकस्मिक आवश्यकताएँ और अन्य लाभ। यह दर, हमारी राय में, न्यूनतम होने का इरादा है

ओवरटाइम कार्य के लिए मजदूरी की दर। ओवरटाइम काम करने के लिए कर्मचारी के स्वास्थ्य पर अतिरिक्त दबाव ने नियम बनाने के अधिकार के साथ अच्छी तरह से बोझ डाला होगा कि वह कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी के रूप में उसे प्राप्त सामान्य मजदूरी से दोगुना सुनिश्चित करे ताकि वह उचित बनाए रख सके।

स्वास्थ्य और सहनशक्ति का मानक। कुछ भी तर्कसंगत नहीं है या

बार में कहा गया था कि ओवरटाइम काम के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय श्रमिकों द्वारा वास्तव में प्राप्त मजदूरी की दर को अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य से बाहर माना जाना चाहिए। अधिनियम के समग्र उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और इसे औद्योगिक विकास की सामान्य योजना के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से देखना।

हमारे संविधान में निहित निदेशक सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में देश में कानून बनाने के लिए ओवरटाइम काम के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों को कानून के रूप में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को दोगुना करने तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह न्यायसंगत हो सकता है। एक तथ्य के रूप में श्रमिकों द्वारा आम तौर पर प्राप्त मजदूरी के दोगुने पर तय किया जाए। [.....]

(जोर दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

40. मजदूरी की दोगुनी दर तय करने के पीछे का तर्क

पंजाब और हरियाणा न्यायालय ने कारखाना अधिनियम, सी. सी. लिमिटेड बनाम सी. सी. लिमिटेड के उद्देश्य के लिए ओवरटाइम की व्याख्या करते हुए ममार्दे में आई. एम. ई. एम. को अलग से नोट किया था। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त 1 6, जहाँ

हमारा आयोजनः

" 27. वर्तमान मामले की व्याख्या में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

एक सामाजिक और श्रम कानून शामिल है। सामाजिक और श्रम कानून मजदूर वर्ग के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए बनाए गए थे और ये मजदूर वर्ग के लंबे संघर्ष का परिणाम हैं। यह आम जानकारी की बात है कि देश में औद्योगीकरण के आगमन के समय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम और श्रमिक अधिनियम जैसे कोई सामाजिक कानून नहीं थे

क्षतिपूर्ति अधिनियम आदि। फिर कोई काम के घंटे तय नहीं किए गए, कोई न्यूनतम मजदूरी तय नहीं की गई; श्रमिकों की छंटनी, उनकी गलत बर्खास्तगी, सेवा की समाप्ति, रैंक में गलत तरीके से कमी आदि के खिलाफ कोई सुरक्षा उपाय नहीं थे। श्रमिकों द्वारा खुद को ट्रेड यूनियनों में संगठित करने के बाद ही ये

विधानमंडल द्वारा अधिनियम बनाए गए थे। इनसे पहले

अधिनियमों में, श्रमिक पूरी तरह से नियोक्ता की दया पर निर्भर थे। वे सुबह से शाम तक और रात में भी कभी-कभी लंबे समय तक काम करते थे और कोई बुनियादी या न्यूनतम मजदूरी तय नहीं की जाती थी। इस प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए, ये सामाजिक कानून बनाए गए और इन सामाजिक कानूनों के लाभ भी दिए गए।

कानून को कभी-कभी नियोक्ताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और उच्च कीमतों के इन दिनों में श्रमिक अपने दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। सभ्य समाज में हर व्यक्ति

जीवन की बुनियादी जरूरतों जैसे आवास, भोजन और आवास के हकदार हैं।

उसके शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए कपड़े। यह इस पृष्ठभूमि में है कि 'मूल मजदूरी' अभिव्यक्ति की व्याख्या अधिनियम में परिभाषित के रूप में की जानी है। अंतिम समझौता स्वयं दर्शाता है कि दो प्रकार के

के दौरान किए जा रहे काम के लिए पारिश्रमिक तय किया जाता है अतिरिक्त घंटे और ओवरटाइम घंटे। जबकि पारिश्रमिक

अतिरिक्त घंटों के लिए, यानी सामान्य घंटों से परे, डेढ़ गुना निर्धारित किया जाता है, ओवरटाइम के लिए पारिश्रमिक, यानी।

वैधानिक समय से परे सामान्य से दोगुना समय तय किया जाता है।

घंटे की दर। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अतिरिक्त के लिए पारिश्रमिक

(1988) 1 पी एंड एच 73 जरात मजूर सभा और ए. एन. आर. वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

घंटे को ओवरटाइम भत्ता नहीं माना जाता है और दो

भुगतान की दरें तय की जाती हैं, एक अतिरिक्त घंटों के लिए जो

अन्य ओवरटाइम घंटों के लिए जो सामान्य से परे हैं वैधानिक कार्य के घंटे "।

(जोर दिया गया)

41. ओवरटाइम काम के लिए दोगुनी दर से भुगतान करने का सिद्धांत

गंभीर असमानता के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है जो अन्यथा व्याप्त हो सकती है

श्रमिकों और प्रबंधन के बीच संबंध। राजस्थान

अदालत, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बनाम. श्रम न्यायालय 1 7

ए. टी. सी. ने नोट किया कि श्रमिक प्राप्त करने से बाहर अनुबंध नहीं कर सकते हैं

औद्योगिक निपटान के एक तरीके के रूप में ओवरटाइम के लिए दर निर्धारित करें। न्यायालय ने

" 6. [.....] एक व्याख्या जो लाभों को प्रतिबंधित या कम करती है कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए स्वीकार्य होने से बचना होगा।

चूंकि कारखाने अधिनियम में निहित प्रावधान, विशेष रूप से

जो अध्याय में निहित हैं। VI, श्रमिकों की रक्षा करने के लिए हैं

अपनी असमान स्थिति के कारण शोषण के विरुद्ध

नियोक्ता, नियोक्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति नहीं दी जा सकती है

श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करना। इसी तरह, कर्मचारी

निर्धारित सीमा से परे काम करने के लिए स्वयंसेवा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है

घंटे। यदि नियोक्ता को अनुबंध करने की अनुमति दी गई थी

1948 अधिनियम के प्रावधानों का पूरा उद्देश्य जिसके साथ

ये प्रावधान लागू किए गए हैं जो विफल हो जाएंगे।

[.....]

9. [.....] नियोक्ता ने स्पष्ट रूप से इसका लाभ उठाया है श्रमिकों की तुलना में बेहतर सौदेबाजी की स्थिति

उन्हें 50 घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिए मजबूर करना

काम करते हैं। अब यह दावा नहीं किया जा सकता है कि इस तथ्य के बावजूद कि श्रमिक 50 घंटे से अधिक ओवरटाइम मजदूरी के लिए सेवा प्रदान की है

उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि श्रमिक एक पक्ष बन गए

उस प्रतिबंध का उल्लंघन। उल्लंघन करके लाभ उठाना कानून के प्रावधानों के अनुसार, नियोक्ता अब यह दलील नहीं दे सकता है कि

श्रमिकों को उनके अतिरिक्त काम के लाभ से वंचित किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

एच सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की संवैधानिक दृष्टि

42. संविधान एक चार्टर है जो सत्ता के हस्तांतरण को मान्यता देता है। लेकिन स्वराज्य की संवैधानिक दृष्टि राजनीतिक शक्ति के हस्तांतरण से परे है। राज्य नीति के मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत एक कल्याणकारी राज्य का एक सुसंगत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की परिकल्पना करता है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान पर अपने मौलिक कार्य में सामूहिक रूप से उन्हें "संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया है जो भारत में सामाजिक क्रांति की खोज को शक्ति देकर भारत के भविष्य, वर्तमान और अतीत को जोड़ती है"। 18 औपनिवेशिक अनुभव, और गरीबी ने इसे एक के रूप में पवित्र किया

आर्थिक समानता और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संविधान सभा के लक्ष्य में राज्य नीति की घटनाएँ प्रेरक शक्ति थीं। 19 यद्यपि निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य सक्षम होना नहीं था

किसी कानून को अमान्य करने के लिए अदालतों के समक्ष स्वतंत्र रूप से लागू किए जाने के कारण, वे राज्य की नीतियों को सूचित करते हैं; कानून के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं और उन जटिलताओं को समझने के मार्ग पर लगे यात्रियों के लिए साइन पोस्ट प्रदान करते हैं जिन्हें संविधान उजागर करता है। प्रख्यात विधि विद्वान उपेंद्र बख्शी ने भारतीय संविधान पर ग्रैनविल ऑस्टिन के कार्य की समीक्षा करते हुए मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों की न्यायसंगतता और गैर न्यायसंगतता के द्विभाजन का विश्लेषण किया था। उन्होंने कहा था-"संवैधानिक विद्वता के किसी भी अन्य क्षेत्र में, प्लैटिट्यूड्स के ग्रह से एक विश्लेषणात्मक स्वर्ग में चढ़ने की आवश्यकता निर्देशक सिद्धांतों के अध्ययन की तुलना में अधिक सम्मोहक है। यह तथ्य कि यह भेद (न्यायसंगतता में) अब एक संवैधानिक वास्तविकता है, इस अधिक महत्वपूर्ण तथ्य को अस्पष्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार दोनों मूल रूप से एक नए भारत की दृष्टि में निहित हैं। और यद्यपि संवैधानिक कानून पर कई लेखकों को अधिकारों और सिद्धांतों के बीच एक कट्टरपंथी और तेज अंतर करने के लिए प्रेरित किया गया है, लेकिन यह खुशी की बात है कि न्यायिक निर्णय लेना उनकी बुनियादी एकता के बारे में जागरूकता बनाए रखने में विफल नहीं हुआ है। 21 कारखाना अधिनियम राज्य की नीति के दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है।

18 ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानः एक राष्ट्र की आधारशिला (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966) पृष्ठ 63 पर 19 ग्रैनविल ऑस्टिन, भारतीय संविधानः एक राष्ट्र की आधारशिला (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1966) पृष्ठ 74-77 पर

20 उपेंद्र बख्शी, "द लिटिल डन, द वैस्ट अनडोन"-ग्रैनविल ऑस्टिन की "द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन", जर्नल ऑफ द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (1967) Vol.9 नंबर 3, पृष्ठ 360 पर पढ़ने पर कुछ विचार

21 आई. बी. आई. डी. पृष्ठों 366-367 गुजरात मज़दूर सभा और ए. एन. आर. पर उपलब्ध है। वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

संविधान के अनुच्छेद 38,22,39,23,42,24 और 4325 को बरकरार रखना चाहता है। यह.

ऐसा कारखानों के प्रबंधन और उनके श्रमिकों के बीच विषम शक्ति गतिशीलता में ज्यादतियों को बेअसर करने का प्रयास करके सभ्य काम करने की स्थिति, काम पर गरिमा और एक जीवित मजदूरी सुनिश्चित करके किया जाता है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकारों में 'स्वतंत्रता' और 'स्वतंत्रता' के विचार खोखले आकांक्षाएं हैं। आर्थिक दबाव की विशालता से जीवन को विफल किया जा सकता है।

43. कारखाना अधिनियम में परिभाषित 'श्रमिक' शब्द है -

उन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है जो अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध श्रम के रूप में कार्यरत हैं और प्रतिष्ठान में विनिर्माण प्रक्रिया में योगदान करते हैं। 26 भारत में कोविड-19 महामारी के साथ एक विशाल प्रवासी श्रमिक संकट भी था, जिसमें कई श्रमिक (श्रमिकों सहित) शामिल थे

नियोजित या कारखानों के साथ अनुबंधित) को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था 22 अनुच्छेद 38-(1)-"राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा।

(2) राज्य, विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और न केवल व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। 23 अनुच्छेद 39-"राज्य, विशेष रूप से, (क) यह सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करेगा कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है।

(ख) कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से वितरित किया जाए कि आम भलाई के लिए सबसे अच्छा हो;

(ग) कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण आम नुकसान के लिए नहीं होता है;

(घ) कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है; (ई) कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति और बच्चों की कम उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और नागरिक अपनी उम्र या शक्ति के अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं होते हैं;

24 अनुच्छेद 42-"राज्य कार्य की न्यायपूर्ण और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और प्रसूति राहत के लिए प्रावधान करेगा।" 25 अनुच्छेद 43-"राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य तरीके से, सभी श्रमिकों के लिए, कृषि, औद्योगिक या अन्य रूप से, काम, जीवन निर्वाह मजदूरी, काम की शर्तों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, जिससे जीवन स्तर का एक सभ्य मानक और अवकाश और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों का पूर्ण आनंद सुनिश्चित हो और विशेष रूप से, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।"

26 राष्ट्रीय ताप विद्युत सह-संचालन v. कारी पोथुराजू, (2003) 7 एस. सी. सी. 384; बारात फ्रिट्ज वर्नर लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य, (2001) 4 एससीसी 498 [2020] 13 एस. सी. आर.

आय का स्रोत। विचाराधीन अधिसूचनाएँ श्रमिकों को ऐसे समय में कठिन काम करने की स्थितियों के अधीन करने को वैध बनाती हैं जब उनकी कमजोर सौदेबाजी की शक्ति महामारी से प्रभावित है। कपड़े पहने हुए। धारा 5 के तहत असाधारण शक्तियां, राज्य श्रमिकों को इस तरह से शोषण करने की अनुमति नहीं दे सकता है जो कारखाने अधिनियम, 1948 की कड़ी मेहनत से प्राप्त सुरक्षा और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के संवैधानिक वादे को कागजी-बाघों में बदल देता है। यह विडंबना है कि यह परिणाम ऐसे समय में आना चाहिए जब राज्य को उनका कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए।

44. एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां राज्य श्रमिकों का प्रमुख नियोक्ता नहीं है, कोविड-19 महामारी उनके लिए सच्ची समानता और गरिमा हासिल करने में अप्रत्याशित चुनौतियों को जन्म देती है। अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को अस्तित्व और सुरक्षा के बारे में बुनियादी प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों की अभूतपूर्व प्रकृति केवल महामारी की अप्रत्याशित प्रकृति से मेल खाती है। चुनौतियों का समाधान सरलता और प्रतिबद्धता के साथ करने की आवश्यकता होगी। संविधान निर्माताओं ने आर्थिक लोकतंत्र के एक भी मॉडल की परिकल्पना नहीं की थी। संविधान के निर्माता के रूप में डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने एक ऐसी दृष्टि को शामिल किया जो निर्वाचित सरकारों की आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं की बदलती प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रियाएं तैयार करने का विवेक प्रदान करती है। 27 19 नवंबर 1948 को संविधान सभा में उन्होंने 28 कहाः

" .....जबकि हमने राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की है, यह भी इच्छा है कि हमें अपने आदर्श आर्थिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित होना चाहिए। सवाल यह हैः क्या हमें इस बारे में कोई निश्चित विचार मिला है कि हमें आर्थिक लोकतंत्र कैसे लाना चाहिए? ऐसे कई तरीके हैं जिनसे लोग मानते हैं कि आर्थिक लोकतंत्र लाया जा सकता है; ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिवाद को आर्थिक लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप मानते हैं; ऐसे लोग हैं जो एक समाजवादी राज्य को आर्थिक लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप मानते हैं; ऐसे लोग हैं जो साम्यवादी विचार को आर्थिक लोकतंत्र का सबसे परिपूर्ण रूप मानते हैं। अब, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा आर्थिक लोकतंत्र हो सकता है

लाए गए, हमने जानबूझकर उस भाषा में पेश किया है जिसका हमने निर्देशात्मक सिद्धांतों में उपयोग किया है, कुछ ऐसा जो निश्चित या कठोर नहीं है। हमने अलग-अलग लोगों के लिए पर्याप्त जगह छोड़ी है।

27 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, संविधान सभा बहस, खंड 7 19 नवंबर, 1948 को 28 आई. बी. आई. डी. गुजरात मजूर सभा और ए. एन. आर.

वी. गुजरात राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

आर्थिक लोकतंत्र, अपने तरीके से प्रयास करने के लिए, मनाने के लिए मतदाताओं का कहना है कि यह आर्थिक लोकतंत्र तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका है,

जिस तरह से वे चाहते हैं उस तरह से कार्य करने का पूरा अवसर अभिनय करें "।

हालांकि, आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके विकास के लिए लचीलापन

आर्थिक लोकतंत्र के मॉडल निर्माताओं की दृष्टि में नहीं होंगे

सामाजिक-आर्थिक कल्याण की उपेक्षा की अनुमति दें। डॉ. अम्बेडकर ने निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 38 में 'प्रयास' शब्द को बनाए रखने का बचाव करते हुए जोर देकर कहाः

" 'प्रयास' शब्द जो संविधान के प्रारूप में मिलता है,

निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इसका इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हमारा इरादा

यह तब भी है जब ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो रोकती हैं सरकार, या जो सरकार के देने के रास्ते में आती है

इन निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए, वे कठिन परिस्थितियों में भी

और गैर-लाभकारी परिस्थितियों में, हमेशा इसे पूरा करने का प्रयास करें ये निर्देश। इसलिए हमने 'प्रयास' शब्द का उपयोग किया है।

अन्यथा, किसी भी सरकार के लिए यह कहना खुला रहेगा कि

परिस्थितियाँ इतनी खराब हैं कि वित्तीय स्थिति इतनी खराब है

अपर्याप्त है कि हम एक प्रयास भी नहीं कर सकते हैं

जिस दिशा में संविधान हमें जाने के लिए कहता है।

(जोर दिया गया)

संविधान आर्थिक प्रयोगों की अनुमति देता है। न्यायिक समीक्षा

नीति, विशेष रूप से आर्थिक नीति के मामलों में उचित रूप से रोक दिया जाता है। लेकिन राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को व्याख्या की सरलता से विस्मरण तक सीमित नहीं किया जा सकता है। एक कर्मचारी को जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है

महामारी और वर्तमान में शारीरिक दूरी की विलासिता के बिना एक कार्यस्थल में काम कर रहा है, क़ानून के तहत उपलब्ध अधिकारों के आधार पर आर्थिक गरिमा कम से कम है जो यह न्यायालय उन्हें सुनिश्चित कर सकता है। न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने इस न्यायालय के उस वाक्यांश को मद्रास राज्य बनाम वी. जी. रो. 29 में मान्यता देकर हमारे न्यायशास्त्र में एक प्रहरी के रूप में अमर कर दिया। हो सकता है कि यह वाक्यांश

बदलते समय के बीच लेखों, संगोष्ठियों और अब, वेबिनारों की प्रचुरता में मौसमी हो गया हो। वाक्यांश के रूप में परिचित, न्यायाधीशों को अपने कार्यकाल के माध्यम से लगातार खुद को इसके मूल्य के बारे में याद दिलाना चाहिए, अगर संवैधानिक विवेक का आह्वान अर्थ बनाए रखना है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गारंटीकृत 'जीवन का अधिकार', जिसमें एक कर्मचारी शामिल है, एक समान अधिकार से रहित होगा। 29 ए. आई. आर 1952 एस. सी. 196 [2020] 13 एस. सी. आर.

न्यायपूर्ण और मानवीय परिस्थितियों के अभाव में सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का अवसर। किसी श्रमिक के जीवन के अधिकार को उसके नियोक्ता या राज्य की दया पर निर्भर नहीं माना जा सकता है। अधिसूचनाएँ, मानवीय काम करने की स्थितियों और ओवरटाइम मजदूरी से इनकार करने के लिए कानून, श्रमिकों के जीवन के अधिकार और जबरन श्रम के खिलाफ अधिकार का अपमान है जो संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 द्वारा सुरक्षित हैं।

I सारांश

45. यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि प्रतिवादी का उद्देश्य महामारी के कारण हुई वित्तीय आवश्यकताओं को कम करना था और

बाद में लॉकडाउन। हालाँकि, वित्तीय नुकसान की भरपाई मजदूर श्रमिकों के थके हुए कंधों पर नहीं की जा सकती है, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ प्रदान करते हैं। कारखाना अधिनियम की धारा 5 को एक व्यापक अधिसूचना जारी करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता था जिसमें सभी कारखानों को अनुपालन से छूट दी गई थी

मानवीय कार्य स्थितियों और ओवरटाइम के लिए पर्याप्त मुआवजे के साथ, एक महामारी की प्रतिक्रिया के रूप में जिसके परिणामस्वरूप 'आंतरिक अशांति' नहीं हुई

राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, ताकि 'सार्वजनिक आपातकाल' का गठन किया जा सके कारखाना अधिनियम की धारा 5 के अर्थ के भीतर। हम तदनुसार रिट याचिका की अनुमति देते हैं और अधिसूचना सं. जीएचआर/2020/56/एफएसी/142020/346/एम 3 दिनांक 17 अप्रैल 2020 और अधिसूचना संख्या। श्रम और श्रम मंत्रालय द्वारा 20 जुलाई 2020 को जारी जी. एच. आर./2020/92/एफ. ए. सी./142020/346/एम. 3

उत्तरदाता राज्य का रोजगार विभाग। 46. इस निर्णय के परिणामस्वरूप, और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के हित में, हम निर्देश देते हैं कि

अधिसूचना जारी होने के बाद से काम कर रहे सभी पात्र श्रमिकों को कारखाना अधिनियम की धारा 59 के प्रावधानों के अनुसार ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

47. लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

लिखित

याचिका की अनुमति दी गई।